नईदुनिया

संपादकीय

हाईकोर्ट की फटकार, सो रही नौकरशाही आदिवासियों का हक कब मिलेगा

सरकार की नीयत साफ है, योजनाएं भी बहुत हैं, लेकिन धरातल पर आदिवासी आज भी भटक रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण योजनाओं को लागू करने वाले अफसरों की लापरवाही है। जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि आदिवासियों की जमीन हड़पने के मामलों का एक महीने में निपटारा किया जाए और अवैध कब्जे तुरंत हटाए जाएं। अदालत ने पूछा कि 1,196 प्रकरणों में से केवल 329 पर ही कार्रवाई क्यों हुई। बाकी फाइलें किसके इंतजार में धूल खा रही हैं? यह सवाल केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के आत्मसम्मान और अधिकारों का है।

मुख्यमंत्री ने आदिवासी कल्याण को प्राथमिकता देते हुए पेसा कानून, वनाधिकार पट्टे, छात्रवृत्ति, आवास और रोजगार जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं। बार-बार कहा गया कि आदिवासियों को उनका अधिकार मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि तहसील और कलेक्ट्रेट के चक्कर काटते-काटते वे थक चुके हैं। पट्टा उनके नाम है, लेकिन जमीन पर कब्जा किसी और का है। बैंक से कर्ज नहीं मिलता, छात्रवृत्ति अटक जाती है और अस्पताल में कार्ड तक नहीं बनता। ऊपर घोषणाएं हैं, नीचे निष्क्रियता और बीच में पिसता आम आदिवासी।

समस्या नीति की नहीं, बल्कि व्यवस्था की है। कागजों पर सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन जमीन पर हालात नहीं बदलते। अधिकारी बैठकें कर लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं और फाइलें वहीं की वहीं पड़ी रहती हैं। वनाधिकार पट्टे जारी हो जाते हैं, लेकिन जमीन का वास्तविक अधिकार नहीं मिलता। पेसा कानून के तहत ग्राम सभाओं को अधिकार देने की बात होती है, फिर भी निर्णय दफ्तरों में ही अटक जाते हैं।

हाईकोर्ट की टिप्पणी ने प्रशासनिक सुस्ती को उजागर कर दिया है। वर्षों से लंबित मामलों में कार्रवाई नहीं होना बताता है कि जवाबदेही का अभाव है। अदालत की फटकार के बाद कुछ जिलों में अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन यह स्थायी सुधार नहीं, बल्कि तत्काल दबाव का परिणाम अधिक प्रतीत होती है। जब तक लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक फाइलें रेंगती ही रहेंगी।

सरकार को केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उनकी नियमित मॉनिटरिंग हो, हर महीने प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। पेसा कानून को वास्तविक ताकत मिले और आदिवासियों को समय पर उनका अधिकार मिले। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की योजनाओं का लाभ भी बिना भटकाव के उन तक पहुंचे।

इस दिशा में तकनीक का बेहतर उपयोग भी जरूरी है। सभी लंबित प्रकरणों की ऑनलाइन निगरानी हो, ताकि प्रत्येक मामले की स्थिति सार्वजनिक रूप से देखी जा सके। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि अधिकारियों पर समयबद्ध कार्रवाई का दबाव भी बनेगा। हर जिले में मासिक समीक्षा अनिवार्य हो और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, ताकि योजनाओं का वास्तविक लाभ पात्र आदिवासियों तक समय पर पहुंच सके।

संवेदनशीलता भाषणों से नहीं, काम से साबित होती है। आदिवासियों को उनका अधिकार दिलाना केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की कसौटी है। यदि व्यवस्था नहीं बदली, तो योजनाओं की संख्या बढ़ती रहेगी, लेकिन आदिवासी का जीवन नहीं बदलेगा और यही सबसे बड़ी विफलता होगी।

आजकल

ई-साक्ष्य, ई-समन से बदलेगी न्याय की रफ्तार

मध्यप्रदेश की न्यायिक व्यवस्था अब तकनीक के नए दौर में प्रवेश कर रही है। जबलपुर में आयोजित विशेष ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राज्य न्यायिक अकादमी 22 अगस्त को 17 जिलों के 156 न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को ई-साक्ष्य और ई-समन प्रणाली का प्रशिक्षण देगी। यह केवल प्रशिक्षण नहीं, बल्कि अदालतों की कार्यप्रणाली को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की शुरुआत है।

अब तक न्यायिक प्रक्रिया काफी हद तक कागजी दस्तावेजों पर निर्भर रही है। समन जारी करने में देरी, साक्ष्य प्रस्तुत करने की जटिल प्रक्रिया और फाइलों के लंबे समय तक लंबित रहने से न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं। ई-समन से नोटिस ऑनलाइन जारी होगा और उसकी डिलीवरी का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। वहीं, ई-साक्ष्य के माध्यम से डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित ढंग से प्रस्तुत किए जा सकेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाहों के बयान लेने से समय और खर्च, दोनों की बचत होगी।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर आयोजित यह प्रशिक्षण सुप्रीम कोर्ट की ई-कोर्ट्स परियोजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों को नई तकनीकों के उपयोग में दक्ष बनाना है, ताकि अदालतों में डिजिटल व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू हो सके।

हालांकि, इस बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाना आवश्यक होगा। इन कमियों को दूर किए बिना डिजिटल न्याय व्यवस्था पूरी तरह सफल नहीं हो सकेगी।

फिर भी यह पहल स्वागत योग्य है। न्याय में अनावश्यक देरी किसी भी लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। यदि ई-साक्ष्य और ई-समन व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो मामलों का निपटारा तेज होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और आम नागरिक का न्यायपालिका पर विश्वास और मजबूत होगा।

युद्ध अब सीमाओं पर नहीं, समाज के भीतर लड़े जाते हैं

एक समय था जब किसी देश को कमजोर करने के लिए सेनाएं उसकी सीमाओं पर हमला करती थीं। टैंक आगे बढ़ते थे, मिसाइलें दागी जाती थीं और युद्ध का परिणाम रणभूमि में तय होता था। लेकिन इक्कीसवीं सदी में युद्ध का स्वरूप बदल चुका है। अब लड़ाई केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि लोगों के मन, समाज और सूचना तंत्र के भीतर भी लड़ी जाती है। रक्षा विशेषज्ञ इसे हाइब्रिड वॉरफेयर, सूचना युद्ध और मनोवैज्ञानिक युद्ध की संज्ञा देते हैं। इसका उद्देश्य किसी देश की सेना को हराना नहीं, बल्कि उसके नागरिकों का अपने ही राष्ट्र, संस्थाओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा कमजोर करना होता है। दुनिया के अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता के दौरान कुछ समान प्रवृत्तियां दिखाई दी हैं। यह कहना सही नहीं होगा कि हर आंदोलन या विरोध किसी बाहरी साजिश का हिस्सा होता है, क्योंकि लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक और आवश्यक है। लेकिन यह भी सच है कि वास्तविक समस्याओं का उपयोग दुष्प्रचार और सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए किया जा सकता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि किसी राष्ट्र को भीतर से कमजोर करने के लिए सामान्यतः कौन-कौन से तरीके अपनाए जाते हैं।

अपूर्व तिवारी

साझा कथा में जोड़ने का प्रयास होता है। किसानों की मांग, छात्रों का आंदोलन, कर्मचारियों की नाराजगी, स्थानीय विवाद या सामाजिक तनाव-यदि हर विषय का निष्कर्ष एक ही राजनीतिक संदेश की ओर मोड़ दिया जाए, तो वास्तविक समस्याओं का समाधान पीछे छूट जाता है और संघर्ष ही मुख्य विषय बन जाता है।

ऐसे वातावरण में किसी एक चिंगारी का इंतजार रहता है। कोई हिंसक घटना, गिरफ्तारी, दुर्घटना या संवेदनशील विवाद अचानक पूरे देश की बहस बन जाता है। भावनाएं तथ्यों से आगे निकल जाती हैं और अफवाहें आग में घी का काम करती हैं। इसके बाद देश की छवि को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लेकर जाने की कोशिश होती है। आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन नागरिकों के लिए यह समझना जरूरी है कि हर रिपोर्ट और हर वायरल सामग्री अंतिम सत्य नहीं होती। तथ्य और प्रचार के बीच अंतर करना आज पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। जब समाज में यह धारणा बनने लगे कि न्यायपालिका, संसद, चुनाव आयोग, मीडिया, पुलिस और अन्य संस्थाएं पूरी तरह निष्प्रभावी हो चुकी हैं तथा किसी सुधार की कोई संभावना नहीं बची है, तब लोकतंत्र का मनोबल कमजोर होने लगता है। संस्थाओं की आलोचना आवश्यक है, लेकिन उन्हें पूरी तरह निरर्थक घोषित कर देना लोकतांत्रिक विश्वास को भी चोट पहुंचाता है।

अंतिम चरण नागरिकों का मनोबल तोड़ना होता है। युवाओं को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की जाती है कि इस देश में भविष्य नहीं है, यहां अवसर समाप्त हो चुके हैं और व्यवस्था कभी नहीं सुधरेगी। जब कोई समाज स्वयं अपनी संभावनाओं पर विश्वास खो देता है, तब सबसे बड़ी हार सीमा पर नहीं, भीतर होती है।

भारत जैसा विशाल और विविध लोकतंत्र मतभेदों से नहीं, बल्कि संवाद समाप्त होने से कमजोर होता है। इसलिए न तो हर विरोध को राष्ट्रविरोध मानना उचित है और न हर असंतोष को किसी क्रांति का संकेत।

नागरिकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वे हर सूचना की जांच करें, अफवाहों से बचें, तथ्य और प्रचार में अंतर करें तथा मतभेद के बावजूद राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें।

आज देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि विरोध हो रहा है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या इन विरोधों और असंतोषों को सुनियोजित तरीके से भारत को भीतर से कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या विदेशी हितों से प्रेरित शक्तियां भारत की सामाजिक एकता, लोकतांत्रिक संस्थाओं और राष्ट्रीय मनोबल पर लगातार प्रहार कर रही हैं? क्या धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटने की कोशिशें केवल संयोग हैं, या किसी बड़े खेल का हिस्सा?

इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। सतर्क रहिए, सजग रहिए, हर सूचना की पड़ताल कीजिए और उन तत्वों को पहचानिए जो समाज में अविश्वास, वैमनस्य और अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्र की सुरक्षा केवल सीमाओं पर नहीं होती, वह हर जागरूक नागरिक के विवेक और एकता से भी सुनिश्चित होती है।

महिला बंदी भी खुले में ले पाएंगी सांस

खुले जेल की अवधारणा इसी विश्वास पर आधारित है कि हर अपराधी जन्मजात अपराधी नहीं होता और हर गलती के बाद सुधार की संभावना बनी रहती है। पारंपरिक जेलों में ऊंची दीवारें, बंद कमरे और कड़ी निगरानी के बीच व्यक्ति धीरे-धीरे अपने आत्मविश्वास और सामाजिक जुड़ाव से दूर होता जाता है। इसके विपरीत, खुले जेल में बंदी को दिन में बाहर जाकर काम करने, खेती करने या प्रशिक्षण लेने की अनुमति होती है और शाम को उसे वापस जेल लौटना होता है।

मध्यप्रदेश सरकार ने जेल व्यवस्था में एक ऐतिहासिक और मानवीय बदलाव की घोषणा की है। अब राज्य की महिला बंदियों को भी खुले जेल में रखने की सुविधा मिलेगी। अब तक यह व्यवस्था केवल पुरुष बंदियों तक सीमित थी, लेकिन सरकार ने लैंगिक समानता और सुधारात्मक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महिलाओं को भी इसका लाभ देने का निर्णय लिया है। भोपाल के साथ इंदौर, जबलपुर, नरसिंहपुर और नर्मदापुरम में मौजूदा खुले जेलों के साथ महिला खुले जेल भी स्थापित किए जाएंगे। यह फैसला केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि उस सोच का प्रतीक है जो मानती है कि सजा का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि व्यक्ति को समाज की मुख्यधारा में वापस लाना भी है।

खुले जेल की अवधारणा इसी विश्वास पर आधारित है कि हर अपराधी जन्मजात अपराधी नहीं होता और हर गलती के बाद सुधार की संभावना बनी रहती है। पारंपरिक जेलों में ऊंची दीवारें, बंद कमरे और कड़ी निगरानी के बीच व्यक्ति धीरे-धीरे अपने आत्मविश्वास और सामाजिक जुड़ाव से दूर होता जाता है। इसके विपरीत, खुले जेल में बंदी को दिन में बाहर जाकर काम करने, खेती करने या प्रशिक्षण लेने की अनुमति होती है और शाम को उसे वापस जेल लौटना होता है। इस व्यवस्था से वह अपने परिवार और समाज से जुड़ा रहता है। मध्यप्रदेश में पुरुष बंदियों के लिए यह व्यवस्था पहले से लागू है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। अब यही व्यवस्था महिलाओं के लिए भी शुरू होगी, जिससे उनके पुनर्वास की राह और आसान होगी।

महिला बंदियों की परिस्थितियां पुरुष बंदियों से अलग होती हैं। अधिकांश महिलाएं छोटे-मोटे अपराधों या पारिवारिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण कानून के दायरे में आती हैं। कई महिला बंदियां अपने छोटे बच्चों के साथ जेल में रहती हैं, जहां बंद वातावरण का असर उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसे में खुले जेल की व्यवस्था उनके लिए नई उम्मीद बन सकती है। इससे उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने, आत्मनिर्भर बनने और सजा पूरी होने के बाद समाज में सम्मान के साथ लौटने का अवसर मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि खुले जेल में केवल वही महिलाएं रखी जाएंगी, जिनका आचरण अच्छा हो, जिन्होंने गंभीर अपराध न किए हों और जिनके सुधार की संभावना हो। इसके लिए एक चयन समिति पात्र महिलाओं का चयन करेगी।

इस फैसले के पीछे सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश भी महत्वपूर्ण हैं। समय-समय पर अदालत ने जेलों में भीड़ कम करने और बंदियों के मानवाधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। प्रदेश की कई जेलें क्षमता से अधिक बंदियों का बोझ झेल रही हैं, जिससे व्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं। ऐसे में खुले जेल अपेक्षाकृत कम खर्चीला और अधिक प्रभावी विकल्प साबित हो सकते हैं। इस व्यवस्था में बंदियों को खेती और अन्य कार्यों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी मिलेगा।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और समाजशास्त्रियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका मानना है कि यह नारी सशक्तीकरण और सुधारात्मक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। जेल से बाहर आने के बाद महिला बंदियों को सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि वे खुले जेल में रहते हुए कोई कौशल सीख लें और आत्मनिर्भर बन जाएं, तो उनका पुनर्वास कहीं अधिक सहज हो सकता है। साथ ही, उनके बच्चों को भी मां का सान्निध्य मिलता रहेगा, जिससे उनके भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

हालांकि, इस योजना के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा व्यवस्था की होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि खुले जेल की व्यवस्था का दुरुपयोग न हो। इसके लिए प्रभावी निगरानी, नियमित समीक्षा और आवश्यक तकनीकी व्यवस्था विकसित करनी होगी। दूसरी चुनौती सामाजिक स्वीकृति की है। आज भी समाज का एक वर्ग अपराधियों के प्रति केवल दंडात्मक दृष्टिकोण रखता है, जबकि सुधारात्मक न्याय का उद्देश्य व्यक्ति को दोबारा जिम्मेदार नागरिक बनाना है। इसके लिए जनजागरूकता भी आवश्यक होगी।

मध्यप्रदेश सरकार का यह निर्णय अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है। यदि यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो यह केवल जेलों का बोझ कम नहीं करेगी, बल्कि सुधारात्मक न्याय का सफल मॉडल भी बनेगी। सजा का उद्देश्य प्रतिशोध नहीं, बल्कि सुधार होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपनी गलती की सजा पूरी कर चुका हो, तो उसे सम्मान के साथ समाज में लौटने का अवसर मिलना चाहिए। महिला खुले जेल की यह पहल इसी मानवीय सोच का विस्तार है। उम्मीद है कि इसे पूरी संवेदनशीलता, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ लागू किया जाएगा, ताकि जेल की दीवारों के भीतर भी जीवन की नई रोशनी पहुंच सके।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

भारत बना वैश्विक चिकित्सा केंद्र, विदेशी मरीजों की संख्या 4.5 गुना बढ़ी

भारत अब दुनिया के नक्शे पर केवल एक पर्यटन स्थल के रूप में ही नहीं, बल्कि एक प्रमुख चिकित्सा गंतव्य के रूप में भी उभरकर सामने आया है। नई दिल्ली, जयपुर, चेन्नई और मुंबई जैसे शहरों में अब केवल भारतीय ही नहीं, बल्कि विदेशों से आने वाले मरीजों की भी बड़ी संख्या देखने को मिल रही है। इलाज के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ेगा। वर्ष 2009 में जहां भारत में इलाज के लिए आने वाले विदेशी मरीजों की संख्या 1.12 लाख थी, वहीं 2025 में यह बढ़कर 5.07 लाख तक पहुंच गई। यानी केवल 16 वर्षों में यह संख्या लगभग 4.5 गुना बढ़ गई है और यह वृद्धि लगातार जारी है।

विदेशी मरीजों को भारत की ओर आकर्षित करने का सबसे बड़ा कारण यहां उपलब्ध विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं, कम लागत और तेजी से इलाज की व्यवस्था है। अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों में जहां एक सामान्य सर्जरी के लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं और महीनों इंतजार करना पड़ता है, वहीं भारत में वही इलाज लगभग एक-तिहाई लागत पर और बिना देरी के उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा, भारत में कुशल डॉक्टर, आधुनिक तकनीक और अंग्रेजी भाषा की समझ भी विदेशी मरीजों के लिए बड़ा आकर्षण है। हृदय सर्जरी, घुटना प्रत्यारोपण, कैंसर का उपचार, कॉस्मेटिक सर्जरी और आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए दुनिया भर से लोग भारत का रुख कर रहे हैं।

भारत सरकार ने भी मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। 172 देशों के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीजा की सुविधा शुरू की गई है, जिससे विदेशी मरीजों के लिए भारत आना आसान हुआ है। पहले जहां वीजा प्रक्रिया लंबी और जटिल थी, वहीं अब ऑनलाइन आवेदन के कुछ ही दिनों में मेडिकल वीजा मिल जाता है। इसके साथ ही

सरकार ने अस्पतालों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने तथा विदेशी मरीजों के लिए विशेष हेल्प डेस्क और भाषा अनुवादकों की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। निजी अस्पतालों ने भी इस दिशा में तेजी से काम किया है और कई बड़े अस्पतालों में अंतरराष्ट्रीय मरीजों के लिए अलग विभाग स्थापित किए गए हैं।

भारत का मेडिकल टूरिज्म बाजार लगातार विस्तार कर रहा है। वर्ष 2025 में इसका आकार 84 हजार करोड़ रुपये का था और अनुमान है कि 2030 तक यह बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। इस वृद्धि के पीछे न केवल विदेशी मरीजों की बढ़ती संख्या है, बल्कि सस्ते और गुणवत्तापूर्ण इलाज की भारत की मजबूत साख भी है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और अफ्रीका के कई देशों से बड़ी संख्या में मरीज भारत आ रहे हैं। इन देशों में या तो चिकित्सा सुविधाओं की कमी है या इलाज अत्यधिक महंगा है। ऐसे में भारत उनके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प बनकर उभरा है। इसके अलावा मध्य-पूर्व और रूस के मरीज भी अब भारत में इलाज कराना पसंद कर रहे हैं।

भारत की चिकित्सा व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत यहां के डॉक्टर और नर्स हैं। भारतीय डॉक्टर दुनिया भर में अपनी विशेषज्ञता और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। कई भारतीय डॉक्टर अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिष्ठित अस्पतालों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं, वहीं अनेक विशेषज्ञ भारत में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा की प्राचीन परंपरा भी विदेशी मरीजों को आकर्षित कर रही है। जो लोग एलोपैथी के साथ वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में हैं, उनके लिए भारत एक बेहतर विकल्प बन चुका है।

हालांकि, इस क्षेत्र में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने की है। कुछ निजी अस्पतालों पर विदेशी मरीजों से अधिक शुल्क वसूलने और भ्रामक जानकारी देने के आरोप भी सामने आए हैं। इससे भारत की साख प्रभावित हो सकती है। इसलिए सरकार और अस्पताल प्रबंधन को मिलकर प्रभावी निगरानी व्यवस्था विकसित करनी होगी। दूसरी चुनौती ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने की है, क्योंकि मेडिकल टूरिज्म अभी मुख्य रूप से बड़े शहरों तक सीमित है।

विदेशी मरीजों के आने से भारत की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ हो रहा है। मरीजों के साथ आने वाले परिजन होटल, परिवहन और स्थानीय बाजारों में खर्च करते हैं, जिससे पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है। कई ट्रैवल एजेंसियां अब चिकित्सा और पर्यटन को जोड़कर विशेष मेडिकल टूर पैकेज उपलब्ध करा रही हैं। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं और भारत की पहचान एक विश्वसनीय स्वास्थ्य केंद्र के रूप में मजबूत हो रही है।

भारत ने पिछले दो दशकों में चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज भारत केवल अपने नागरिकों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए गुणवत्तापूर्ण और किफायती इलाज की उम्मीद बन चुका है। यदि सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर इसी गति से निवेश और सुधार जारी रखते हैं, तो वह दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद चिकित्सा केंद्र बन जाएगा तथा वर्ष 2030 तक 1.5 लाख करोड़ रुपये के मेडिकल टूरिज्म बाजार का लक्ष्य भी हासिल कर लेगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)